

के निम्न 85 के अन्तर्गत कम्प कोर्ट की शक्तों
 का अन्तर्गत का लगे अधिकाधिकार का प्रयोग नहीं है
 अतः, काय हाजिर प्रमाण के लगे अधिकाधिकार के बिना
 य 0-1 रि 11 17 के अन्तर्गत प्रमाणित है
 काय को रखा जा सकता है पत्रों की
 प्रमाण प्रमाण है का नम्बर के अन्तर्गत का काय प्रमाण प्रमाण
 है

—li.

पाठार्थी अधिकारी
 लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
 1/1/11

न्यायालय माननीय
 श्री जस्टिस
 राजस्व
 उपरिष्ठ अधिकारी